संख्याः–342/XVIII(II)/2011–1(111)/2010

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2011

विषयः–अमर उजाला पब्लिकेशन लि0 द्वारा निदेशक श्री राजुल माहेश्वरी पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल माहेश्वरी को समाचार पत्र प्रकाशन के प्रयोजन हेतु ग्राम मानपुर पश्चिम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के खाता संख्या–184 खसरा न0 137 रकबा 0.253 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–595/12–जेड0ए0सी0/2010 दिनांक–4.9.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, अमर उजाला पब्लिकेशन लि0 द्वारा निदेशक श्री राजुल माहेश्वरी पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल माहेश्वरी को समाचार पत्र प्रकाशन के प्रयोजन हेतु ग्राम मानपुर पश्चिम, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल में रकबा 0.253 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, औद्योगिक विकास विभाग एवं सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति एवं आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता संख्या–184 खसरा न0 137 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (समाचार पत्र का प्रकाशन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय,

.....2

उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमो/मानको के अनुसार सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत भवन प्लान के अनुसार, निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– ईकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल समाचार पत्र प्रकाशन की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

9– ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में, उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लेख, क्रय की जाने वाली भूमि के निष्पादित किये जाने वाले क्रय विलेख पत्र में भी किया जायेगा।

10– ईकाई को प्रस्तावित भूमि में उक्त परियोजना स्थापित करने का, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नही होगा।

11– ईकाई द्वारा प्रस्तावित क्रियाकलाप, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं सम्बर्द्धन विभाग के कार्यालय ज्ञाप, दिनांक–7.1.2003 के संलग्नक–2 में उल्लिखित थ्रस्ट सैक्टर उद्योग के अन्तर्गत क्रमांक 11 में उल्लिखित गतिविधियों में सम्मिलित नही हैं। अतः ईकाई को भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप, दिनांक–7.1.2003 से प्रदत्त प्रभावी वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

15– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

.....3

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–348 /समदिनांकित/2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
2– सचिव, सूचना विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5– श्री राजुल माहेश्वरी पुत्र स्व0 श्री मुरारी लाल माहेश्वरी निदेशक मै0 अमर उजाला पब्लिकेशन लि0 हल्द्वानी जनपद नैनीताल।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
7– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।